

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक ०५ अक्टूबर, 2020

विषय: प्रदेश में पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में पंचायत भवन निर्माण हेतु कुल लक्ष्य-25,908 है, जिसमें गरीब कल्याण रोजगार योजना के अन्तर्गत 31 जनपदों में 13,547, गरीब कल्याण रोजगार योजना से भिन्न के 44 जनपदों में 11,251 तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत 1,110 पंचायत भवनों का निर्माण किया जाना है। प्रति पंचायत भवन अगर हम रु. 20.00 लाख की धनराशि मानते हुए आंकलन करें तो यह कार्य रु. 5081.60 करोड़ का है।

2- प्रदेश में कुल 56,950 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है, जिसमें गरीब कल्याण रोजगार योजना के अन्तर्गत 30,453 सामुदायिक शौचालय तथा गरीब कल्याण रोजगार योजना से भिन्न के 40 जनपदों में 26,507 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है। अगर हम प्रति शौचालय रु. 03.00 लाख की धनराशि मानते हुए आंकलन करें तो यह कार्य रु. 1708.50 करोड़ का है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों कार्य रु. 6790.10 करोड़ के हैं। एम.आई. एस. पर उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 01.10.2020 को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रु. 616.41 करोड़ तथा 14वें वित्त आयोग की रु. 2970.00 करोड़, 15वें वित्त आयोग की रु. 2903.96 करोड़ इस प्रकार कुल रु. 6490.37 करोड़ की धनराशि विभिन्न पंचायतों में अवशेष है। उक्त के अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर रु. 856.96 करोड़ तथा ग्राम पंचायतों के स्तर पर रु. 492.74 करोड़ इस प्रकार कुल रु. 1349.70 करोड़ धनराशि व्यय हेतु अवशेष है। इस प्रकार कुल रु. 7840.07 करोड़ की धनराशि व्यय हेतु उपलब्ध है।

आप अवगत हैं कि गरीब कल्याण रोजगार योजना की अवधि दिनांक 23.10.2020 को समाप्त हो रही है। उक्त अवधि तक गरीब कल्याण रोजगार योजना अन्तर्गत व्यय किए गए धनराशि ही राज्य की रैंकिंग के लिए प्रदर्शित होगी।

मा० मुख्यमंत्री जी ने 18 मण्डलों के मण्डलायुक्त व 75 जनपदों के जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण तथा सामुदायिक शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए विस्तृत निर्देश दिए हैं, जिसमें सर्वप्रथम स्थल चयन आदि की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सम्बन्धित कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं तथा बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव स्वयं सहायता समूह की महिलाकर्मी के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं। इन कार्यों पर व्यय धनराशि प्रिया-साफ्ट पर प्रदर्शित हो। इस आशय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.10.2020 से दिनांक 20.10.2020 के मध्य पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय के कार्यों का लोकार्पण/शिलान्यास प्रस्तावित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

भवदीय,  
  
 (मनोज कुमार सिंह) 5.10.20  
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज उ०प्र०।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं०) उ०प्र०।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
*Manoj*  
(मनोज कुमार सिंह) 5.10.20  
अपर मुख्य सचिव।